न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
57 / 2025

दायर दिनांक
13.01.2025

निर्णय दिनांक
04.03.2025

1. देऊ पुत्री श्री नारू अहीर (यादव) निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. फुमा पुत्री श्री नारू अहीर (यादव) निवासी— समोडी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. रामेश्वर पुत्र श्री शांति लाल अहीर (यादव) निवासी— समोडी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. लाला पुत्र श्री नारू अहीर (यादव) निवासी— समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. शंकर पुत्र श्री नानू अहीर (यादव) निवासी— समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. सुरेश पुत्र नारू अहीर (यादव) निवासी— समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

— — प्राथीगण

बनाम

1. नारायण पुत्र श्री खेमा जी अहीर निवासी समोडी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. ईश्वर बाई पत्नी श्री प्यारचन्द पूर्विया (गाडरी) निवासी—समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. उदी पत्नी श्री कालू अहीर (यादव) निवासी समोडी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. रामलाल पुत्र श्री कालू अहीर (यादव) निवासी समोडी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. बद्री पुत्र श्री जमना लाल अहीर (यादव) निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. रामेश्वर पुत्र श्री माधव अहीर (यादव) निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. शंकर पुत्र श्री एकलिंग अहीर (यादव) निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. सुरेश पुत्र श्री माधव अहीर (यादव) समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

9. हजारी पुत्र श्री एकलिंग अहीर (यादव) निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

10. गट्टू पत्नी स्व० श्री खेमा अहीर (यादव) निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

11. देऊ पत्नी श्री भैरू अहीर (यादव) निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

12. नारायण पुत्र श्री खेमा अहीर (यादव) निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

—— विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी श्री पृथ्वीराज चौधरी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 12 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम समोडी पटवार हल्का दरिबा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील व जिला–भीलवाड़ा मे दर्ज खाता संख्या 1023 रकबा 1.0748 हेक्टर, आराजी नम्बर 1024 रकबा 0.2782 हैक्टयर आराजी नम्बर 1126 रकबा 0.5311 हैक्टयर, आराजी नम्बर1283/1021 रकबा 2.1054 हैक्टयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादी गैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

मेंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम समोडी पटवार हल्का दरीबा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला–भीलवाड़ा मे दर्ज खाता संख्या 1023 रकबा 1.0748 हेक्टर, आराजी नम्बर 1024 रकबा 0.2782 हैक्टयर आराजी नम्बर 1126 रकबा 0.5311 हैक्टयर, आराजी नम्बर1283 / 1021 रकबा 2.1054 हैक्टयर, भूमि स्थित है। भूमि कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा